न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

(गिरधारी) बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा प्र.नं. - 137/2010
06.06.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
137/2010	2010/0003	14.07.2010	06.06.2025 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. गिरधारीलाल पुत्र साधूराम
2. गंगाराम पुत्र साधूराम मृत्तक के बजायः–

   2/1. सुधिर कुमार पुत्र गंगाराम

   2/2. आंकाक्षा पुत्री स्व0 गंगाराम

   2/3. दीपा पुत्री स्व0 गंगाराम

   समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. उमाशंकर पुत्र गिरधारीलाल मृत्तक के बजायः–

   3/1. ललिता पत्नी स्व0 उमाशंकर

   3/2. जहान्वी पुत्री स्व0 उमाशंकर

   3/3. कशिश पुत्री स0 उमाशंकर

   समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

4. मंजूबाला पुत्री गिरधारी लाल जाति बलाई निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

––वादीगण––

बनाम्

1. मोहनी देवी बेवा रामलाल
2. अशोक कुमार पुत्र रामलाल
3. रविकुमार पुत्र रामलाल

उपखण्ड अधिकारी (seal)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

4. आशा देवी पुत्री रामलाल

5. कविता देवी पुत्री रामलाल

6. रेखा कुमारी पुत्री रामलाल

7. मोतीलाल पुत्र रामनाथ

8. पवन कुमार पुत्र रामनाथ

9. प्रभाती देवी बेवा रामनाथ (मृत्तक दौराने दावा –नाम हजफ किया दिनांक 16.01.2025)

10. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ

11. आंची देवी बेवा भागीरथ

12. नाथू पुत्र रूड़ा पौत्र गणेश (मृत्तक दौराने दावा)

   12/1 जगदीश पुत्र नाथू

   12/2 झाबरमल पुत्र नाथू

   12/3 बलदेव पुत्र नाथू

13. हणमान पुत्र कानाराम

14. मुरली पुत्र कानाराम (मृत्तक दौराने दावा)

   14/1 गुलाब देवी बेवा मुरली

   14/2 कालूराम पुत्र मुरली

   14/3 लक्ष्मण पुत्र मुरली

   14/4 सुरेश कुमार पुत्र मुरली

   14/5 रामू पुत्र मुरली

15. कमल पुत्र बंशी

16. कालू पुत्र बंशी

17. पवन पुत्र बंशी

18. महेश पुत्र बंशी

19. सनज्या देवी पत्नी बंशी

20. बद्रीनारायण पुत्र लूणा

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

21 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

22 पूर्णमल पुत्र रामूराम जाति बलाई निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

23 पन्नाराम पुत्र सुखाराम जाति बलाई निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थित:—

श्री गिरधारी लाल सैनी, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6, 8 लगायत 13, 15 से 20 एंव 23 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से

दावा बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 166 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.57 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.49 हैक्टर तन ग्राम फुटाला पटवार हल्का मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि वादीगण नम्बर 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 22 का कमशः 1/5+3/20 ... /20 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के पति व पिता के नाम 1/20 ... दर्ज होकर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के पिता व पति का देहान्त होने के ... प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 इस 1/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्से पर अर्थात 0.37 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है। शेष भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 7 ता 20 काबिज काश्त है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के हिस्से मे आई 0.37 हैक्टर भूमि तथा वादीगण के हिस्से मे मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 161 व 164 की भूमि कब्जे काश्त मे है। जिसमे प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 का खसरा नम्बर 164 मे उत्तरी-पश्चिमी कोने मे 0.37 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है तथा शेष खसरा नम्बर 161 व 164 की भूमि वादीगण के अधिकार व कब्जे मे है। जिसमे प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध नहीं है। पक्षकार वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी रूप से भूमि को अर्सा 40–50 वर्ष से बाट रखी है। वादीगण ने अपनी भूमि को लाखो रूपये का खर्चा करके मौके पर समतल करवाकर उन्नत व उपजाऊ बना रखा है, सिंचाई हेतु स्वय के खर्चे से ट्यूबवैल लगाकर 10 एच0पी0 का विद्युत सम्बन्ध ले रखा है तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि के चारो तरफ कदीमी तारबन्दी करके मौके पर अपनी भूमि की हद–हदूद कायम कर रखी है। वादीगण ने अपने कब्जे व अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 164 की उत्तरी–पूर्वी दिशा में 5 पेड आम के लगा रखे हैं। प्रतिवादीया नम्बर 1 के पति के देहान्त के बाद प्रतिवादीया अकेली व महिला होने से प्रतिवादीया ने वादीगण से अपनी स्वयं की 0.37 हैक्टेयर भूमि की सुरक्षार्थ सहायता करने का निवेदन किया। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीया को उसके कडवे समय में सहारा देने की नियत से तथा अपने कुएं से पानी उपलब्ध करवाकर वादीया की भूमि में लगे 3 आमों के पेडो को पानी देकर परवरिस व सुरक्षा करवादी एवं वादीगण ने स्वयं के खर्चे से प्रतिवादीया की 0.37 हैक्टेयर भूमि के भी तारबन्दी करवायी ताकि वादीया के आमो के पेडो की परवरिस व सुरक्षा हो सके तथा इस कार्य में वादीगण ने आज दिन तक प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को भरपूर सहायोग किया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीया के दिये गये इस सहयोग व सहारे से प्रतिवादीया के 3 आमो के पेड फलदार होकर बडे हो गये। जिससे अब प्रतिवादिया के मन में लालच [illegible] है तथा प्रतिवादीया अपने बेईमानी पूर्ण आशय से खसरा नम्बर 164 कि उत्तरी पूर्वी दिशा मे [illegible] द्वारा मेहनत से तैयार किये वादीगण के 5 आमो के पेडो पर [illegible] नियत से खसरा नम्बर 164 की उत्तरी दिशा की पूर्व–पश्चिम सम्पूर्ण [illegible] मे से 0.37 हैक्टर भूमि क्लेम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

करने व वादीगण को उनके खसरा नम्बर 164 में उत्तरी-पूर्वी दिशा में लगे 5 आमों के पेडो से वंचित करने तथा इस वादीगण के आमो वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण की इस गलत अवैध व मनमानी कार्यवाही को वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। न्यायहित में इस हेतु प्रतिवादीया नम्बर 1 ता 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के विरुद्ध निम्न प्रकार डिकी किए जाने का निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जाकर अलग-अलग खातेदारी अंकित किये जाने तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 164 ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी दिशा से 0.37 हैक्टर के अपने हिस्से व कब्जेशुदा भूमि से पूर्व दिशा की वादीगण के कब्जे व अधिकार की भूमि के वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मजाहमत पेदा नहीं करें ना ही वादीगण के इस भूमि में खडे 5 आमों के पेडो की परवरिस व देखभाल में रूकावट पैदा करें ना अन्य किसी से ऐसा कराये जाने का निवेदन वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में किया है। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6, 8 लगायत 13, 15 लगायत 20 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा एंव एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया एंव जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किये ज[illegible]ल वादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने पर प्रार्थना पत्र अन्तग[illegible]स्वीकार किया जाकर प्रार्थी आवेदक धन्नाराम पुत्र सुखाराम को प्रतिवादी संख्या 23 प्रतिस्थापित किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

संशोधित शीर्षक वादपत्र वकील वादीगण से लिया गया। शेष प्रतिवादीगण की सम्मन तामील होकर नही लौटे है। वादपत्र मे वादी संख्या 2 व 3 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के पेश हुआ। वादीगण की ओर से श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में वकील वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व प्रार्थना पत्र कायम मुकामी प्रतिवादी संख्या 9, 12, 14 का पेश किये गये। जिनको वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किये जाकर आवेदिका प्रार्थीया मंजूबाला पुत्री गिरधारी लाल को वादी संख्या 4 संयोजित किया गया तथा वकील वादीगण द्वारा चाहा गया वांछित संशोधनकिये जाने की अनुमति देते हुए मृत्तक प्रतिवादी संख्या 12, 14 के विधिक वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 9 के विधिक वारिसान् के पूर्व से रिकार्ड पर होने से मृत्तक प्रतिवादी संख्या 9 का नाम हजफ किया गया। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से वाद पत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 8 ता 13 व 15 से 20 व 23 के अधिवक्ता श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित कियें। वकील वादीगण द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार बा[illegible] डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमती व्यक्त क[illegible] उभय पक्षकरान् की सहमति से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण[illegible] प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण वादपत्र में दिनांक 10.07.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प–51 / 2008 / विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2476 / रीडर / 2023 दिनांक 20.07.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2162 / भू.अ. / 2023 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक आपत्तियॉ पेश की। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दरख्वास्त पेश करने पर प्रकरण में बहस दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति पर उभय पक्षकारान् सुनी जाकर प्रारम्भिक आपत्ति खारीज की गई। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एंव आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये तथा वकील वादीगण द्वारा चाहे गये बांछित संशोधन किये जाने की स्वीकृति दी गई तथा मृत्तक प्रतिवादीगण के वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। इसके उपरान्त वकील प्रतिवादी[illegible] ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सीपीसी का पेश किया गया। जिस पर [illegible] पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का दिनांक 24.0[illegible] [illegible] जाकर वादपत्र को [illegible]गण की ओर से लिखित बहस अन्तिम बहस में रखा गया। प्रकरण में वकील प्रतिवादीगण [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested.

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पेश की गई। जिसकी नकल वकील वादीगण को दिलाई जाकर प्रकरण को अन्तिम बहस वकुलाय उभय पक्षकारान में रखी गई।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक व वकील प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2065 – 2068, 2074 – 2077 के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 161, 164, 165, 166, 167 कुल किता 5 कुल रकबा 7.4900 हैक्टर तन ग्राम फुटाला पटवार हल्का मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 23 के पिता/पति के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 23 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिनमें वादग्रस्त आराजी भूमि का विधिक बंटवारा करवाने हेतु वादीगण द्वारा वादपत्र का पेश किया जाना प्रकट होता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा के हकदार है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई आपत्ति अस्वीकार कर खारिज हो चुकी है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा-- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। वकील प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान् को नोटिस नहीं दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 9, 12, 14 की मृत्यु हो जाने पर उनके कायम मुकामान् को रिकार्ड पर नहीं लेने तथा [illegible] खातेदार धाना पुत्र सुखा को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये [illegible] की गई थी। जिस पर वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 9, 12, 14 की कायम मुकामी कार्यवाही पूर्ण करवाकर उनके विधिक वारिसान् को रिकार्ड पर लाते हुए प्रतिवादी संख्या 9 का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हटाये किये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 व 14 के वारिसान को प्रतिवादीगण संख्या 12/1 से 12/3 व 14/1 से 14/5 प्रतिस्थापित किये गये तथा खातेदार छगना पुत्र सुखा को आवश्यक पक्षकार तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 23 बनाये जाने से उक्त प्रतिवादीगण की आपत्ति न्यायालय द्वारा पूर्व में निस्तारित की जा चुकी है।

अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री में प्राप्त विधिक प्रस्ताव अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 13.12.2023 में वर्णित [illegible] प्रकार से विभाजन प्रस्ताव विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा [illegible] को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. ललिता पत्नी उमाशंकर हिस्सा 3/17 2. जहान्वी पुत्री उमाशंकर हिस्सा 3/17 3. कशिश पुत्री उमाशंकर हिस्सा 3/17 4. गिरधारी पुत्र साधुराम हिस्सा 4/17 5. मंजूबाला पुत्री गिरधारी लाल हिस्सा 4/17 जाति बलाई सा. देह खातेदार	161/3 164/5	1.2966 0.7802	बारानी–3 बारानी–3	
	योग खाता	किता – 2	2.0768	बारानी–3	
2	1. सुधीर कुमार पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3 2. आंकाक्षा पुत्री गंगाराम हिस्सा 1/3 3. दीपा पुत्री गंगाराम हिस्सा 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार	161/1 164/2	0.3762 0.1125	बारानी–3 बारानी–3	
	कुल योग	किता–2	0.4887	बरानी–3	
3	1. मोहनी देवी पत्नी रामलाल हिस्सा 1/6 2. सुरेन्द्र पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6 3. रविप्रकाश पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6	164/[illegible]	0.3665	बारानी 3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

4. आशा पुत्री रामलाल हिस्सा 1/6 5. कविता देवी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/6 6. रेखा कुमारी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/6 जाति बलाई सा. देह खातेदार				
योग खाता	किता – 1	0.3665	बारानी–3	
1. प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ हिस्सा 1/36 2. पवनकुमार पुत्र रागनाथ हिस्सा 1/36 3. मोतीलाल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/36 4. ऑची देवी पत्नी भागीरथ हिस्सा 1/24 5. औमप्रकाश पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/24 6. जग्रदीश पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/18 7. झाबरमल पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/18 8. बलदेव पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/18 9. हनुमान पुत्र काना हिस्सा 1/12 10. कालूराम पुत्र मुरली हिस्सा 1/60 11. गुलाबी देवी पत्नी मुरली हिस्सा 1/60 12. रामू पुत्र मुरली हिस्सा 1/60 13. लक्ष्मणराम पुत्र मुरली हिस्सा 1/60 14. सुरेश कुमार पुत्र मुरली	164/4 165/3 166/1 165/1 167/1	0.5500 1.2052 0.9860 0.1368 1.5200	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	हिस्सा 1/60 15. पवन पुत्र बंशी हिस्सा 1/60 16. महेश पुत्र बंशी हिस्सा 1/60 17. कमल पुत्र बंशी हिस्सा 1/60 18. कालू पुत्र बंशी हिस्सा 1/60 19. संज्या देवी पत्नी बंशी हिस्सा 1/60 20. बद्रीनारायण पुत्र लूणा हिस्सा 1/3 21. धन्ना पुत्र सुखा हिस्सा 1/12				
	कुल योग	किता–5	4.3980	बारानी–3	
5.	बदस्तुर जमाबन्दी हिस्सा अनुसार	161/2 164/3 165/2 166/2 167/2	0.0272 0.0308 0.0280 0.0240 0.0500	गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता	
	कुल योग	किता– 5	0.1600	बारानी–3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व [illegible] में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर [illegible] की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में रास्ते के रूप में प्रस्तावित

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

म्बर 161/2, 164/3, 165/2, 166/2, 167/2 की भूमियों की किस्म गैर मुमकीन दर्ज किया जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 2162/भू.अ./23 क 13.12.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय जात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested